न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2025/217

01. इस्माईल खां पुत्र नाजू खां जाति मुसलमान निवासी चक 15 केजेडी सामरदा तहसील खाजूवाला ....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–08.01.26**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 की तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी तथा उक्त रकबाा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज हो गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम इस्माईल खां पुत्र नाजू खां के बजाय अस्मील खां पुत्र नाजू खां दर्ज है व उक्त रकबा का कब्जा वादी का आवंटन से लेकर आज दिनांक तक चलता आ रहा है। जब उक्त रकबा के आवंटन के लिए आवेदन किया गया था। उस वक्त वादी को उसके गांव में आम बोलचाल में इस्माईल खां के बजाय अस्मील खां के नाम से पुकारते थे तथा उस समय आम आदमी का कोई फोटो पहचान व अन्य दस्तावेज जिन्हे पूर्णतया पहचान के रूप में प्रयोग लाया जा सके। फोटो पहचान पत्र दस्तावेज नहीं होने के कारण भूमि आवंटन आवेदन में वादी का नाम अस्मील खां भरा गया था तथा मुताबिक आवंटन वादी को उक्त रकबा अस्मील खां के नाम से आवंटन हो गया। जो कि आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अस्मील खां के नाम से दर्ज है। वादी को उसके गांव सामरदा में अस्मील खां पुत्र नाजू खां व इस्माईल खां पुत्र नाजू खां दोनों ही नाम से जानते व पहचानते है तथा वादी ही इस्माईल खां पुत्र नाजू खां व अस्मील खां पुत्र नाजू खां है। ये दोनो नाम वादी के ही है तथा वादी को इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। वादी अपने नाम के उपरोक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अस्मील खां पुत्र नाजू खां की घोषणा व दुरूस्त करवाकर इस्माईल खां पुत्र नाजू खां करवाना चाहता है। वादी का नाम रकबा चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में अस्मील खां पुत्र नाजू खां के बजाय इस्माईल खां पुत्र नाजू खां की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड की प्रतिया व ग्राम पंचायत नौसेरा सामरदा की तस्दीक, प्रार्थी/वादी का स्वंय का शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत रकबा के अलावा रकबा चक 14 केजेडी ए मु0नं0 124/63 रकबा 5.8167 हैक्टर की जमाबंदी भी प्रस्तुत की जिसमें वादी/प्रार्थी का नाम ईस्माईल खां अंकित है। ग्राम पंचायत तस्दीक में लिखा है कि इस्माईल खां व अस्मील खां एक ही आदमी है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 केजेडी ए मु0नं0 105/28 के किला नं0 1 ता 20 तादादी 4.8431 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अस्मील खां की जगह इस्माईल खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अस्मील खां नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अस्मील खां नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम अस्मील खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 08.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)